राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्र.सं.:एफ16(1)(44) निमअ/मसुसके/10/पार्ट–IA/5358 जयपुर, दिनांकः 10.जू.2014

परिपत्र

महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अध्याय III- **स्थानीय शिकायत समितियों का गठन** के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. अधिनियम के अध्याय III- **स्थानीय शिकायत समितियों का गठन** की धारा 6(1) की पालना में, जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं अधिकारों का निर्वहन करते हुए संबंधित जिले के लिए अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत स्थानीय शिकायत समिति (Local complaint Committee) का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:–

(i)	सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्यरत ऐसी प्रतिष्ठित/उत्कृष्ठ कार्य करने वाली महिला जिसे महिलाओं संबंधी मुद्दों पर कार्य का अच्छा अनुभव हो	अध्यक्ष
(ii)	जिले के ब्लॉक/तहसील/वार्ड/नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत महिला	सदस्य
(iii)	स्वयं सेवी संस्थाओं से नामांकित दो प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला होनी आवश्यक है) जिन्हें लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दो पर विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा इसमें निम्नलिखित में से कोई सम्मिलित हो सकेगा–	सदस्य

(a) समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल के अनुभव वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो महिलाओं के सशक्तिकरण तथा विशिष्टतया कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता है;

(b) ऐसा व्यक्ति जिसे श्रम, रोजगार, सिविल या दांडिक विधि में अर्हता प्राप्त है;

* उपरोक्त दो में से कम–से–कम एक नामांकित की पृष्ठभूमि कानून की या कानूनी जानकारी होना आवश्यक होगा।

उपरोक्त दो में से एक प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/जनजाति/ अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक समुदाय (समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित) की महिला होनी आवश्यक है।

(iv)	संबंधित जिले का कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

2. समिति के कार्य, उत्तरदायित्व एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है:—

(i) समिति के द्वारा महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अध्याय IV एवं V तथा महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 7 के अनुसार प्राप्त शिकायतो की सुनवाई एवं निस्तारण किया जायेगा।

(ii) समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(iii) अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से निर्धारित अवधि के अनुसार (अधिकतम 3 वर्ष) किया जाएगा।

(iv) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों (स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों) को स्थानीय शिकायत समिति की कार्यवाही के आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 5 के अनुसार दिये जा सकेगें।

(v) अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्व एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंतर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा।

(vi) समिति के द्वारा अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21(1) की पालना में प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए निर्धारित फार्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को प्रेषित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होगें:

(a) वर्ष मे प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;
(b) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया;
(c) ऐसे मामलो की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है;
(d) लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या;
(e) नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप;

3. जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक/तहसील हेतु (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो के लिए) एक नोडल अधिकारी को नामित किया जायेगा जिसके द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतें प्राप्त कर संबंधित स्थानीय शिकायत समिति को शिकायत प्राप्ती के 7 दिवस के अन्दर अग्रेषित किया जायेगा।

4. अधिनियम के अध्याय VII की धारा 20 की पालना में जिला अधिकारी (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) द्वाराः
   (a) स्थानीय शिकायत समितियों द्वारा नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की निगरानी की जाएगी।
   (b) यौन शोषण एवं महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करने के प्रयास किए जाएगें।
5. जिला अधिकारी के द्वारा धारा 21(1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर धारा 21(2) की पालना में राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

(विपिन चन्द्र शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.सं.:एफ16(1)(44) निमअ/मसुसके/10/पार्ट–IA/ 5359-5659 **जयपुर, दिनांकः** 10.2.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महो. राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव मान. मुख्यमंत्री महो. राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त/पुलिस कमिश्नर/पुलिस महानिरीक्षक, रेन्ज।
8. निदेशक महिला अधिकारिता, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर।
10. महानिरीक्षक (मानव अधिकार)।
11. आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक।
13. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त सदस्य, राज्य स्टीयरिंग कमेटी, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना।
15. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजेश यादव)
निदेशक,
महिला अधिकारिता